कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें,

रायपुर संभाग, रायपुर छ.ग.

E-jdhs.raipur@gmail.com phone 0771-,2229950, Fax no- 4262299

क्रमांक / स्था. / सीधी भर्ती / सत्रह / 2016 / 114 रायपुर, दिनांक 02 DEC 2016

::पूरक आदेश::

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन तृतीय तल नया रायपुर के पत्र क्रमांक / स्था.अवि. / 286 / 2016 / 1071 नया रायपुर दिनांक 08.11.2016 में छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा परिणाम के अनुरूप रायपुर संभाग के अधीन जिलों में रिक्त लैब टेक्निशियन के पद पर संभागीय चयन समिति के द्वारा मूल दस्तावेज जॉच उपरांत अनुमोदन / अनुशंसा के आधार पर संवर्गवार संभागीय स्तर पर आरक्षण रोस्टर एवं शासन द्वारा आरक्षण से संबंधित समय–समय पर पारित अन्य नियमो का पालन करते हुए **लैब टेक्निशियन** के पद पर **वेतनमान रूपये 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800** एवं शासन द्वारा समय–समय पर देय मंहगाई भत्ते तथा तथा अन्य भत्तो पर नीचे उल्लेखित सेवा शर्तो के अधीन नियुक्ति **कॉलम 06** पर नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर अस्थाई रूप से पदग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर पदस्थ किया जाता है।

क्र	वरिष्ठता क्रमाक	अनुक्रमांक	चयनित उम्मीदवारो का नाम	लिंग	जाति संवर्ग	पदस्थापना स्थान
अनारक्षित (दिव्यांग)						
1	1	16010146	श्री प्रमोद कुमार शर्मा, पिता श्री राम गोपाल शर्मा, वार्ड क्रमांक 1 गायत्री मंदिर के पास, अम्बागढ़ चौकी, जिला राजनांदगांव छ.ग.	M	सामान्य	जिला चिकित्सालय महासमुन्द (ब्लड बैंक) छ.ग. (अद्यतन चिकित्सा बोर्ड से दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उपस्थिति स्वीकार होगी)

क्रमांक 13–14 / 2009 / अस.प्र / 1–3 / रायपुर दिनांक 04.12.2012 छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियो / अनुसूचित जनजातियो एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण) संशोधन नये दिनांक 29.11.212 से प्रभाशील। दिव्यांग हेतु छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–21 / 2014 / सक / 26, दिनांक 25.09.2014।

इस आदेश में अनारक्षित–श्रेणी के 1 दिव्यांग को नियुक्ति प्रदान की गई है तथा दिव्यांग श्रेणी के अनुसूचित जनजाति में 1 पद रिक्त है।

शर्ते :–

1. चयनित उम्मीदवार को आदेश प्रसारण होने की तिथि से 15 दिवसो के भीतर उपस्थित होना अनिवार्य होगा अथवा आदेश स्वयंमेव निरस्त माना जावेगा।
2. उपस्थिति हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र तथा उनकी एक–एक सत्यापित छायाप्रति के साथ संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करें।
3. महिला अभ्यार्थी के विवाह पश्चात / उपनाम (सरनेम) परिर्वतन हेतु केवल विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

Scanned by CamScanner

4. चयनित उम्मीद्वार को उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ जिले के जिला मेडिकल बोर्ड का शारीरिक स्वस्थता (मेडिकल फिटनेस) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाती है। सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर सेवायें, नियमित की जायेगी। जो उम्मीद्वार शासकीय नियमो के तहत परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण नहीं करेंगे, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम–8(5) के तहत उनकी सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी।
6. चयनित उम्मीदवार को निर्धारित मुख्यालय में रहकर सेवायें देना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की उदासीनता बरती जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
7. चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के तीन माह के भीतर पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चरित्र सत्यापन में विपरीत टीप पाये जाने पर बिना सूचना के आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
8. चयनित उम्मीवार सिविल सेवा (सेवा की सामन्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 5 एवं 6 सिविल सेवा (आचरण) निमय 1965 तथा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अधीन शासित होंगे।
9. यह नियुक्ति शासन द्वारा निर्धारत आरक्षण नियमों का पालन करते हुये की गई है अतः जिन उम्मीदवारो की नियुक्ति आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग में की गई है, उन्हे राज्य से जारी 'प्रपत्र' पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके गलत पाये जाने पर चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
10. नियुक्ति के संबंध में आपके द्वारा प्रदत्त कोई भी जानकारी गलत या झुठी पाये जाने पर आपकी नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जायेगी तथा नियामानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
11. शासन के नियमानुसार किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की सूचना या कर्मी द्वारा एक माह का वेतन देकर सेवाये कभी भी समाप्त अथवा त्याग पत्र दिया जा सकता है।
12. विकलांग उम्मीदवारो की उपस्थिति के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड से पद की उपयोगिता के अनुरूप सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपस्थिति सूनिश्चित करें।
13. चयनित उम्मीदवार उपस्थिति के 1 माह के भीतर सेवा–पुस्तिका एवं सी.पी.एस. पासबुक की दो–दो प्रतियॉ कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
14. चयनित अभ्यार्थी द्वारा उपरोक्त उल्लेखित शर्तो के अनुरूप चयनित पद पर कार्य करने हेतु मुख्यालय में निवास करने एवं पद अनुसार आवश्यक सेवायें दिया जाना आवश्यक होगा, इस आशय का नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र 50/– के स्टाम्प पर उपस्थिति देने के समय पदस्थापना जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।

संभागीय संयुक्त संचालक,
स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर संभाग छ.ग.

पृ.क्रं./स्थापना/सीधी भर्ती/सत्रह/2016/2284-9A रायपुर,दिनांक 02 DEC 2016

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर, जिला–बालोद, बेमेतरा, बलौदाबाजार–भाटापारा, दुर्ग, धमतरी, गरियाबंद, कबीरधाम, महासमुंद, रायपुर, राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला बालोद, बेमेतरा, बलौदाबाजार–भाटापारा, दुर्ग, धमतरी, गरियाबंद, कबीरधाम, महासमुंद, रायपुर, राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ

Scanned by CamScanner

6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला– बालोद, बेमेतरा, बलौदाबाजार–भाटापारा, दुर्ग, धमतरी, गरियाबंद, कबीरधाम, महासमुंद, रायपुर, राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु साथ ही निर्देश दिया जाता है कि समय अवधि के पश्चात किसी भी उम्मीदवार की उपस्थिति उच्चाधिकारियो की अनुमति के बिना नही लेंगे एवं समावाधि समाप्ति के पश्चात 1 सप्ताह के भीतर कार्य पर उपस्थित हुये उम्मीदवारो की जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला – बालोद, बेमेतरा, बलौदाबाजार–भाटापारा, दुर्ग, धमतरी, गरियाबंद, कबीरधाम, महासमुंद, रायपुर, राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला कोषालय अधिकारी जिला– बालोद, बेमेतरा, बलौदाबाजार–भाटापारा, दुर्ग, धमतरी, गरियाबंद, कबीरधाम, महासमुंद, रायपुर, राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।
9. संबंधित खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकरी के द्वारा सूचनार्थ।
10. स्थानीय लेखा शाखा की ओर सूचनार्थ।
11. संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ एवं लेख है कि आप अपनी उपस्थिति संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देवे।
12. कार्यालयीन प्रति।

22/12/16

संभागीय संयुक्त संचालक,
स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर संभाग छ.ग.

Scanned by CamScanner